पत्रांक –10/न 4–02/2003 मा0 694

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार, पटना

प्रेषक,

श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनाक 6.11.06

विषयः– सलफिया स्कूल, बेलवागंज, लहेरियासराय, दरभंगा को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 के आलोक में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :–

1. विद्यालय का संचालन सोसाईटी रेजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत निबंधित सोसाईटी "द अंजुमन अहले हदीस, दरभंगा" के द्वारा किया जाता है । शपथ पत्र के द्वारा यह सूचना दी गयी है कि सोसाईटी में किसी एक व्यक्ति अथवा परिवार का प्रभुत्व नहीं है संस्था के सदस्यों की सूची दी गई है न्यास में 5 सदस्य है जिनमें 2 के संबंध में सामाजिक कार्यकत्ता अंकित है। ये सामान्य शब्द है जिनसे स्थिति स्पष्ट नही होती है। विभागीय अधिसूचना के अनुसार न्यास के सदस्यों के पेशा की सही सही जानकारी आवश्यक है। केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड न्यास के प्रत्येक सदस्य के वास्तविक पेशा की जानकारी प्राप्त कर ही विद्यालय को सम्बद्धता देने के संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई करना चाहेगा।
2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाईटी/न्यास के फेन्चाईजी के रूप में स्थापित होने अथवा किसी Brand name का उपयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नही करने का दावा किया है ।
3. विद्यालय के आवेदन के अनुसार केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मापदण्डों के अनुरूप है। विद्यालय को भूमि, भवन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध है। केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के निरीक्षण दल को विद्यालय का स्थल निरीक्षण कर विद्यालय के द्वारा दी गयीं सूचना को सम्पुष्ट कर लेना होगा।
4. आवेदन में कहा गया है कि शिक्षकों की योग्यता NCTE के norms के अनुरूप है।यह भी अंकित किया गया है कि शिक्षकों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया से विज्ञापन के आधार पर होती है। शिक्षको की नियुक्ति के संदर्भ में विज्ञापन की प्रति संलग्न की गयी है । शिक्षकों की सूची संलग्न नही की गयी है। केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जॉचोपरान्त यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि शिक्षको की योग्यता NCTE के अनुरुप हो तथा उनकी नियुक्ति विहित प्रक्रिया से विज्ञापन निकाल कर किया गया हो।
5. विद्यालय के द्वारा हिन्दी विषय पढ़ाने का दावा किया गया है ।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित ट्युशन शुल्क, अन्य प्रकार के शुल्क वार्षिक लेखा, अंकेक्षण प्रतिवर्ष सत्र चालू होने के पूर्व सार्वजनिक करने की सूचना दी गयी है। यह भी अंकित किया गया है कि इस सूचनापट पर प्रकाशित किया जाएगा तथा शिक्षक/अभिभावकों की बैठक में उपस्थापित किया जाएगा।
7. विद्यालय के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सहमति दी गई है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त्ते स्वीकार है । लेकिन अपेक्षित शर्त्त के अन्तर्गत बच्चों एवं उनके मात पिता से साक्षात्कार एवं आवेदन पत्र निर्धारित क्षमता से अधिक तो हो खूले तरीके से draw of lots के द्वारा छात्रों के चयन के संबंध में भी केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विद्यालय से उनका मन्तव्य प्राप्त कर ही अग्रेतर कार्रवाई करना चाहेगा। अपेक्षित शर्त्तों के अनुसार :–

Parveen Hayat
Principal
Salfia School
Laheriasarai, Darbhanga

Khurram
SECRETARY
SALFIA SCHOOL
Laheriasarai(Darbhanga)

(i) विद्यालय में क्षमता का 25% नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा । ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/– रूपये प्रतिवर्ष होगें।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नही लिया जायेगा । अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुलें तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा ।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी ।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नही होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80% राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी ।

8. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है ।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालयों के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं आपेक्षित शर्त्तो का अनुपालन किया जा रहा है । स्कूल को यह शर्त्ते सार्वजनिक करनी होगी तथा इनका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेवसाइट में करना होगा ।

10. शर्त्तो के उल्लंधन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सबधन रदद करनें की कारंवाई की जायेगी ।

11. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एवं उपर वर्णित शर्त्तो के आधार पर सलफिया स्कूल, बेलवागंज, लहेरियासराय, दरभंगा को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है ।

12. विद्यालय से प्राप्त शपथ पत्र के रूप में आवदेन पत्र दिनांक 27.06.06 की छायाप्रति संलग्न है ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक –यथोक्त

6/11/06

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

Farheen Hayat
Principal
Salfia School
Laheriasarai, Darbhanga

SECRETARY
SALFIA SCHOOL
Laheriasarai(Darbhanga)